

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल


(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 4237/स्था/प्रनिबो/2022

भोपाल, दिनांक 31 OCT 2022

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 162 वीं बैठक दिनांक 10 अक्टूबर 2022 में लिये गये निर्णय अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 निरसित करते हुये नवीन म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022 बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु अंगीकृत किये गये हैं। तदनुसार उक्त नियमों के अन्तर्गत बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी प्रकार का बाह्य रोगी के रूप में कराई गई चिकित्सा के देयक की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। बाह्य चिकित्सा देयक की प्रतिपूर्ति के स्थान पर प्रतिमाह दिये जाने वाला चिकित्सा भत्ता रुपये 1500/- यथावत लागू रहेगा। आकस्मिकता एवं गंभीर बीमारी की स्थिति में चिकित्सालय में भर्ती रहकर कराई गई चिकित्सा के देयकों के भुगतान में म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022 के प्रावधान लागू होंगे।


(ए०ए० मिश्रा)

सदस्य सचिव

पृ० क्रमांक 4238 /स्था/2022
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 31 OCT 2022

- 1 स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
- 2 समस्त यूनिट हेड, मुख्यालय, समस्त आंचलिक अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/ समस्त प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 3 वित्त अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 4 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

(ए०ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव,